



**RHCF-NGO**



## जल जीवन मिशन उत्तर प्रदेश

प्रपत्र -2

6  
14

### **ग्राम कार्य योजना (वी.ए.पी)**

जल संबंधी उन सभी गतिविधियों की पहचान करना जो ग्राम समुदाय की जीवन को बेहतर बनाने में मदद करती है। (ग्राम पंचायत और / या इसकी उप समिति, अर्थात् वी.डब्लू.एस.सी. / पानी समिति / प्रयोक्ता समूह आदि द्वारा तैयार की जानी है और डी.डब्लू.एस.एम.को प्रस्तुत किए जाने से पहले ग्राम सभा में अनुमोदित की जानी है आई.एस.ए.द्वारा मार्गदर्शन सहायता प्रदान की जानी है)

1. तैयारी की तारीख ..... ५/११/२३ ग्राम सभा में अनुमोदन की तारीख ..... १०/११/२३

डी.डब्लू.एस.एम.को प्रस्तुत किए जाने की तारीख .....

2. ग्राम का नाम ..... **उदय भान** ग्राम पंचायत का नाम ..... **उदय भान अब्दुर रही**

ब्लाक का नाम ..... **भुसान** जिला का नाम ..... **हमीरसन**

राज्य का नाम ..... **उत्तर प्रदेश** ग्राम जनगणना कोड.....

(यदि लागू हो, तो बस्तियों की संख्या और उनके नाम)

2 ग्राम पचांयत संकल्प

3. ग्राम समुदाय की आकृक्षा: ०२ (संख्या) मवेषी कुंडों को और ०२ (संख्या) कपड़े धोने/स्नान करने के स्थानों को जल आपूर्ति करने सहित प्रतिदिन नियमित आधार पर अर्थात् ०२ घण्टे निर्धारित गुणवत्ता वाले ५५० एल.पी.सी.डी. जल आपूर्ति वर्ष २०२४ तक ग्रामीण परिवारों को उपलब्ध कराने के लिए एफ.एच.टी.सी.प्रदान करना लम्ब ग्राम समुदाय के लोग, अपनी अंत ग्राम जल आपूर्ति अवसरबंना के अपनत्व, प्रबंधन प्रचालन और रख-रखाव की जिम्मेदारी लेते हैं। हम अपने जल निकायों का सम्मान करेंगे और उनकी रक्षा करेंगे और उन्हें संदृष्टि नहीं करेंगे। हम अपने गंदले जल की व्यवस्था करेंगे और अपने मीठे पानी को बचाएंगे। यह संकल्प लिया जाता कि पूजी लागत का १०% प्रचालन और रख-रखाव लागत के परिणामित हिस्से का भुगतान किया जाएगा और जल आपूर्ति प्रणाली के प्रबंधन में योगदान किया जाएगा।

पानी की गुणवत्ता का प्रमाण पत्र पी.एच.ई.डी. / आर.डब्लू.एस. विभाग द्वारा जारी किया जाएगा।

11 ग्राम पचांयत और / या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्लू.एस.सी. / पानी समिति / प्रयोक्ता समूह आदि का विवरण

4. कौन सी समिति गाँव में जल आपूर्ति योजना की आयोजना, कार्यान्वयन, प्रबंधन और रख-रखाव का नेतृत्व करेगी।

(ग्राम पंचायत और / या इसकी उप-समिति) ..... ३५००३१ अब्दुर रही

अध्यक्ष का नाम ..... ३५००३१ लिंग ..... महिला आयु ..... ५५

S.N.	सदस्य का नाम	लिंग	आयु
१	जोरदार	पुरुष	२६
२	सीतरन	पुरुष	५५
३	रूप किंदू	पुरुष	२६

6. 2011 की जनगणना के अनुसार

जनसंख्या ..... २८८२

परिवारों की संख्या ..... ५७७

महिलाओं की संख्या ..... १८२

पुरुषों की संख्या ..... १२३०

बच्चों की संख्या ..... ५७०

एफ.एच.टी.सी. की संख्या.....

वर्तमान पंचायत / आंगनबाड़ी रिकॉर्ड के अनुसार

वर्तमान जनसंख्या ..... ३३५२

परिवारों की संख्या ..... ५६०

महिलाओं की संख्या ..... १३१९

पुरुषों की संख्या ..... १५६३

बच्चों की संख्या ..... ५७०

एफ.एच.टी.सी. की संख्या.....



# RHCF-NGO



7 जनसंख्या अनुमान:

मध्यवर्ती चरण वर्तमान से 15 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 18% वृद्धि) ..... 210 किलोलीटर / दिन (के.एल.डी.) अंतिम चरण

वर्तमान से 30 वर्ष (वर्तमान संख्या में 32% वृद्धि) ..... 244 किलोलीटर / दिन (के.एल.डी.)

8 वर्तमान मवेशी संख्या (पषुपालन रिकॉर्ड) ..... 2415

9 कृषि फसल पैटर्न:

प्रमुख फसलें जैंडु

खरीफ बापूरा, धनत रबी गोद आलू

10 औसत जिला वर्षा (मि. मी. में) ..... 11. स्थलाकृति (समतल, ढलान, आदि) .....

11 स्थिति विश्लेषण

12 क्या संसाधन मानचित्रण किया गया है (हाँ / नहीं) (ग्राम कार्य योजना के साथ मानचित्र. संलग्न करें)

13. क्या सामाजिक मानचित्रण किया गया है (हाँ / नहीं) (ग्राम कार्य योजना के साथ मानचित्र संलग्न करें)

14

क्रम.सं.	सार्वजनिक संस्था का नाम	क्या एफ.एच.टी.सी.उपलब्ध है (हाँ / नहीं)	क्या वर्षा जलसंचयन संरचना उपलब्ध है (हाँ / नहीं)	सोखा गड़डों को उपलब्धता (हाँ / नहीं)
1	स्कूल	नहीं	नहीं	हाँ
2	आगंनबाड़ी	नहीं	नहीं	हाँ
3	स्वास्थ्य केंद्र	नहीं	नहीं	हाँ
4	ग्राम पर्यावरण भवन	नहीं	नहीं	हाँ
5	अन्य	नहीं	नहीं	हाँ

पानी की कुल दैनिक आवश्यकता

15 पानी की वेतनमान आवश्यकता जनसंख्या X दर ..... 185 के.एल.डी.

मवेशियों के लिए पानी की वर्तमान आवश्यकता ..... 73 के.एल.डी.

मवेशी कुड़ों की आवश्यकता संख्या ..... 5

मध्यवर्ती चरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या X दर ..... 218 के.एल.डी.

अंतिम चरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या X दर ..... 244 के.एल.डी.

पानी की आपूर्ति का इतिवृत्त

16 गाँव में पानी की आपूर्ति / उपलब्धता का इतिवृत्त, सूखा / अकाल / चकवात / बाद या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा का पैटर्न, पानी की उपलब्धता समान्य प्रवर्त्ति:

17 आपातकालिन व्यवस्था का कोई इतिवृत्त जैसे टंकियों, रेल गाड़ियों, / आदि के माध्यम से पानी की आपूर्ति।

18 पानी की आपूर्ति से संबंधित आंशिक कार्य, स्त्रोत को मजबूत करने का इतिवृत्त

19 जल जनित रोंगों का इतिवृत्त

पानी की गुणवत्ता

20 फ़िल्टर गरीबकान किट / वायरल का उपयोग करके समुदाय के साथ जल गुणवत्ता की चौकरी के लिए अभिनिर्धारित तारीखें....

21 रोगिणी निरीक्षण के लिए अभिनिर्धारित तारीखः.....

22 जल आपूर्ति योजना में इस्तेमाल किए जाने वाले मौजूदा / प्रस्तावित पेयजल स्त्रोत (स्त्रोतों) के पानी की गुणवत्ता

स्त्रोत का नाम (अध्यात्मिक).....

मापदंड	तरीका	परिणाम
गंदगी	दृष्ट्यु चुलना	
पीएच	पट्टी रंग तुलना	
पूर्ण लवणता	टिक्टीमेट्रिक विधि	
पूर्ण क्षारीयता	टिक्टीमेट्रिक विधि	
क्लोराइड	टिक्टीमेट्रिक विधि	
अमोनिया	दृष्ट्यु रंग तुलना	
फास्फेट	दृष्ट्यु रंग तुलना	
अवशिष्ट क्लोरीन	दृष्ट्यु रंग तुलना	
आयरन	दृष्ट्यु रंग तुलना	
नाइट्रोट	दृष्ट्यु रंग तुलना	
फ्लोराइड	दृष्ट्यु रंग तुलना	



आर्सेनिक (हॉटस्पॉटम में)

दृष्टि रंग तुलना

कपड़े धोने/स्नान करने का स्थान:-

23. यह सम्भावना है कि गाँव के कुछ गरीब इलाकों में कपड़े धोने के लिए और /या नल कनेक्शन के लिए पर्याप्त जगह न हो। ऐसे अभिनिर्धारित स्थानों की संख्या, जिसमें कपड़े धोने/स्नान करने के स्थान उपलब्ध कराए जाने हैं:

अवस्थिति का नाम	घरों की संख्या	आवादी
	560	3352

24. भू-जल स्रोत के मामले में क्या बोरवेल रिचार्ज सरंचना है(हाँ/नहीं)

25. गाँव में उन मौजूदा जल भंडारों की सूची जिनका कायाकल्प / मरम्मत कार्य किया जाना आवधक है:

गंदले जल का प्रबंधन

26. उत्पन्न गंदला जल (जल आपूर्ति का 65): 75% के एल डी.

अलग— अलग सोख्ता गड्ढों वाले परिवारों की संख्या..... ८

उन परिवारों की संख्या जिन्हें सोख्ता गड्ढों की आवधकता है..... १०

आवधक सामुदायिक सोख्ता गड्ढों की संख्या..... ८

क्या अपविष्ट जलछट तालाब की आवधकता है(हाँ/नहीं)

यदि हाँ, तो क्या इसके लिए स्थान अभिनिर्धारित किया गया है: ३५% की ८/१२

यदि नहीं, तो गंदला जल प्रबंधन के कौन से अन्य उपायों को अपनाया जाना चाहिए.....

#### V जल आपूर्ति योजना

27. निम्नलिखित में सें किस श्रेणी के तहत एफ.एच.टी.सी.प्रदान किए जाएंगे:

टतिम छोर तक पहुँच के लिए पूर्ववर्ती एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी के तहत बुरु की गई योजनाओं की रेट्रोफिटिंग ताकि इसे जे.जे.एम.के अनुकूल बनाया जा सके निर्धारित गुणवत्ता वाले पर्याप्त भू-जल /स्प्रिंग वाटर/स्थानीय या धरातली जल वाले गांवों में एस.वी.एस.प्रबंधन की आवधकता वाले किन्तु पर्याप्त भू-जल वाले गांवों में एस.वी.एस.

वाटर ग्रिड/क्षेत्रीय जल आपूर्ति योजनाओं वाले एम.वी.एस.

मिनी सौर ऊर्जा आधारित पी.एल.डब्ल्यू.एस. जो एकान्तं /आदिवासी बस्तियों में स्थित है।

28 अभिनिर्धारित जल स्प्रेत ..... तकनीकी —आर्थिक और सामाजिक —आर्थिक मूल्यांकन के आधार पर प्रस्तावित जल आपूर्ति योजना ..... ८/१० भू-जल प्रबंधन प्र०/११

इस योजना के लिए अभिनिर्धारित भूमि .....

वह तारीख, जिस पर यह भूमि पी.एच.इ.डी./आर.डब्ल्यू.एस.विभाग को सौप दी जाएगी..... योजना की लागत ..... भारत सरकार का हिस्सा ..... व्यक्तिगत घरेलू अंशदान ..... वार्षिक प्रचालन व रखरखाव शुल्क ..... घरेलू मासिक जल पुल्क /प्रयोक्ता शुल्क ..... कोई दूरस्थ बसावट हो तो ,अभिनिर्धारित पी.डब्ल्यू.एस. ....

#### VI मेल—जोल

( निम्नलिखित तालिका में उन सभावित योजनाओं का उल्लेख किया गया है जिसके तहत गतिविधि/निधि मेल—जोल सम्बंध है। ग्राम समुदाय द्वारा ग्राम की आवधकता के अनुसार अभिनिर्धारित योजनाओं के प्रस्ताव भेजे जाने हैं।)

29.

योजनाओं का नाम	केन्द्र/राज्य सरकार का विभाग	सभावत गतिविधियों जो आँख की जा सकती है	प्रस्तावित निधि
चौदहवां वित आयोग	ग्राम पंचायत	ग्रे/वाटर मैनेजमेंट, ड्रेनेज सिस्टम आदि।	
स्वच्छ भारत मिशन—ग्रामीण (एस.वी.एम.जी.)	पेयजल और स्वच्छता विभाग जल विभिन्न मंत्रालय	ग्रे—वाटर मैनेजमेंट सोख्ता गड्ढे (व्यक्तिगत / सामुदायिक) . अपविष्ट तलछट तालाब आदि।	
एम.जी.एन.आर.इ.जी.एस.	ग्रामीण विकास मंत्रालय	ग्रामीकृति संसाधन प्रबंधन(एन.आर.एम.)घटक के तहत सभी जल सर्क्षण गतिविधियाँ	
एकीकृत वाटरघेड प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.)	भूमि संसाधन विभाग	वाटरघेड प्रबंधन/आर.डब्ल्यू.एच./कृत्रिम पुनर्मरण, जल निकायों का निर्माण/वृद्धि आदि।	
जल भडारों की मरम्मत, नवीनीकरण और जोणांद्वार	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा सरक्षण विभाग	बड़े जल भडारों का जीर्णांद्वार	
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.)	कृषि सहकारी और किसान कल्याण	वाटरघेड से संबंधित कार्य	
प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना	कृषि सहकारी और किसान	जल की खपत वाली विभिन्न	
(पी.एम.के.एस.वाई.)	कल्याण मंत्रालय	फसलों के लिए सूखा—सिचाई का प्राक्धान, एकीफर्स से जल की निकासी को कम करने के लिए	

3



RGDF

## RHCF-NGO



क्षेत्रिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण	पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	आर.डब्ल्यू.एस.योजनाओं के लिए आवश्यक मानव संसाधनों के लिए कौषल विकास, प्रशिक्षण आदि।	
समग्र विद्या	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	स्कूलों में पैदल आपूर्ति का प्रावधान	
आकांक्षी जिला कार्यक्रम	नीति आयोग	जिला कलेक्टर के पास उपलब्ध विवेकाद्यीन निधियों के तहत जल संरक्षण गतिविधियाँ	
जिला खानिज विकास निधि (डी.एम.ए.फ.) एम.पी.एल.ए.डी.	राज्य	बड़े पैमाने पर जल संरक्षण गतिविधियाँ	
एम.एल.ए.एल.ए.डी.	सखियांकी और कार्यक्रम कार्यालय मंत्रालय (एम.ओ.एस.पी.आई.)	अतःग्राम अवसरचंना	
सविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान/जनजातीय उपयोजना (टी.एस.एस.)	जनजातीय मामलों का मंत्रालय और राज्य	अतःग्राम अवसरचंना	
दानदाता / प्रयोजक			

अध्यक्ष का हस्ताक्षर—.....  
*अश्रु देवी*

पी.एच.ई.डी. / आर.डब्ल्यू.एस.विभाग के अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर.....

आई.एस.ए.प्रतिनिधि का नाम और हस्ताक्षर(यदि लागू हो).....  
*पूजा शाला*

संपर्क विवरण

ग्राम पचांयत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./पानी समिति/प्रयोक्ता समूह, आदि का

अध्यक्ष का नाम और फोन नंबर *अश्रु देवी - 8273046383*पचांयत सचिव का नाम और फोन नंबर: *रामचंद्रशंकर सिंह - 9719392305*

जमीनी तकनीशियन का नाम और फोन नंबर:

पानी की गुणवत्ता की चौकसी सुनिश्चित करने के लिए पांच महिलाओं के नाम और फोन नंबर:


Sr.	महिला का नाम	पति का नाम	मोबाइल न.	बैंक खाता संख्या	IFSC कोड	ब्रांच
1.	मीरा देवी	नरेन्द्र	8057375460	36371883316	SBIN0002426	मुरसान
2.	ममता	रवीन्द्र कुमार	9548218669	152411010008938	BKIDDOARYAG_B	मुरसान
3.	लक्ष्मी कुमारी	सोरभ कुमार	7533838302	35173033494	SBIN0002426	मुरसान
4.	सीमा देवी	मल्लरवान	9524040444	152410110002103	BKIDDOARYAG_B	मुरसान
5.	लंता देवी	नवनीत कुमार	88992 9997426833	152410110002165	BKIDDOARYAG_B	मुरसान

पेप ऑपरेटर का नाम और फोन नंबर:

ISA:-.....  
*RHCF*ISA प्रतिनिधि:-.....  
*पूजा शाला*

हस्ताक्षर

प्रधान

*(A)*  
हस्ताक्षरग्राम पचांयत समिति  
ग्राम पचांयत  
विकास खानिज उपयोजना (एम.एस.एस.)*(6)*